पर्चा–डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 28 / 2021

जीसीएमएस– 2021 / 90

दायर दिनांक– 13.08.2021

निर्णय दिनांक– 30.09.2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री मांगीलाल पुत्र श्री लोगाराम, जाति मेघवाल निवासी मेघवालों की ढाणी झिन्झानियाल, जोधपुर हाल निवासी कृष्णा नर्सरी, देवनगर रोड़, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री बीरमा पुत्र श्री गणेश जाति बलाई निवासी ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर, जिला अजमेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1.श्री निर्मलकुमार जैन, अभिवक्ता, वादी।
2.श्री फिरोज मो., अधिवक्ता, प्रतिवादी
3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी / सहकाश्तकारी की आराजीयात ग्राम नेडलिया पटवार हल्का गनाहेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुष्कर तहसील पुष्कर में अवस्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

खाता संख्या नया / पुराना	खसरा नंबर	रकबा (हैक्ट0)	किस्म
442	721	2.36	बारानी 2

उक्त वादीग्रस्त आराजीयात में वादी का 2 / 3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 01 का 1 / 3 हिस्सा निहित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जो कि जमाबंदी संवत् [illegible]73 से स्वयं सिद्ध है। वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक मौके पर विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त आराजी पर शामलात रूप से कृषि किया जाना संभव नही है क्योंकि वादी [illegible] वादग्रस्त आराजीयात [illegible]कबन्दी को लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

30.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

आये दिन विवाद होता रहता है अतः वादी द्वारा उक्त भूमि का उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य बाय मिंटस एंड बांउडस विधिक विभाजन किया जाकर तदानुसार मौके एवं राजस्व रिकार्ड में पालना करवायी जाने की घोषणात्मक आज्ञाप्ति हेतु यह वाद–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादी के वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में दिनांक 17.09.2021 को प्रतिवादी सं. 01 की ओर से वकील श्री फिरोज मो. द्वारा वकालतनामे पेश कर दिनांक 08.10.2021 को जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। दिनांक 03.06.2022 को उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करने बाबत सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् दिनांक 02.09.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्रांक/तह.पु/भू.अ./न्याय/2022/2451 दिनांक 16.09.2022 के माध्यम से कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रंग भरकर पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा की सूचना उभयपक्ष अभिभाषक को प्रदान कर पत्रावली को आवश्यक कार्यवाही/अंतिम बहस हेतु तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा पर सहमति जाहिर कर अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में उभयपक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मौजा नेडलिया पटवार हल्का कानस की आराजीयात खाता संख्या 442 के खसरा नंबर 721 रकबा 2.36 हैक्ट0 वादी एवं प्रतिवादी के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार तहसीलदार पुष्कर के संलग्न नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा कुर्रेजात रिपोट, उभयपक्ष अभिभाषक की बहस अनुसार बने निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा (हैक्ट0)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	बीरमा पुत्र गणेश जाति बलाई सा.देह खातेदार	721/1	0.7867	बारानी 2	हरा
	कुल		0.7867	–	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

30.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

2.	मांगीलाल पुत्र लोगाराम जाति मेघवाल सा. मेघवालों की ढाणी, झिन्झानियाल, जोधपुर।	721/2	1.5733	बारानी 2	पीला
	कुल	किता 1	1.5733	–	–

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

30-9-22

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर0ए0एस) (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम–डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 28 / 2021

जीसीएमएस– 2021 / 90

दायर दिनांक– 13.08.2021

निर्णय दिनांक– 30.09.2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री मांगीलाल पुत्र श्री लोगाराम, जाति मेघवाल निवासी मेघवालों की ढाणी झिन्झानियाल, जोधपुर हाल निवासी कृष्णा नर्सरी, देवनगर रोड़, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री बीरमा पुत्र श्री गणेश जाति बलाई निवासी ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर, जिला अजमेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– **1.श्री निर्मलकुमार जैन, अभिवक्ता, वादी।**
2.श्री फिरोज मो., अधिवक्ता, प्रतिवादी
3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

–:: अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई ::–

वादी का वाद बाबत् बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा को उभयपक्ष अभिभाषक की बहस, संलग्न नक्शा ट्रेस व कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जाती है। विभाजन आराजीयात को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर के खाता संख्या 442 के लिए विभाजन निम्नानुसार है–

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा (हैक्ट0)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	बीरमा पुत्र गणेश जाति बलाई सा.देह खातेदार	721 / 1	0.7867	बारानी 2	हरा
	कुल	[illegible]	0.7867	–	–
2.	मांगीलाल पुत्र लोगाराम जाति	7[illegible]2	1.5733	बारानी	पीला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

28.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

	मेघवाल सा. मेघवालों की ढाणी, झिन्झानियाल, जोधपुर।			2	
	कुल	किता 1	1.5733	–	–

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

30.9.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

जब्दल नक्शा किश्तवार
मौजा- मेडलिया
तहसील - पुष्कर
जिला - अजमेर
राज.
सन् १९८५-८६
संवत २०३८-३८
पैमाना १ से.मी. = २० मीटर

वीरमा पुत्र गणेश

मांगीलाल पुत्र लोंगाराम   माँगीलाल

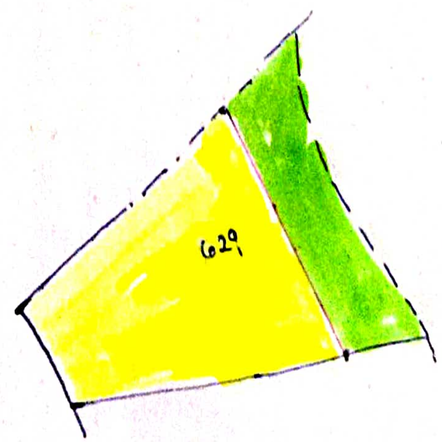

30.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

मनोहरलाल

14/9/22
नायब तहसीलदार

14/9/22
पट. कानूनगो

14/9/22
तहसीलदार, पुष्कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested